

राजस्थान सरकार
देवस्थान विभाग

क्रमांक प.12(17)देव/2018

जयपुर, दिनांक 27.03.2019

स्थायी आदेश

राजस्थान कार्यविधि नियम 1967 के अनुलग्नक- "ब" में निर्धारित कार्य के अतिरिक्त देवस्थान विभाग में निष्पादित होने वाले कार्यों के परिपेक्ष्य में उपर्युक्त नियमों के नियम 21 व 22 के अन्तर्गत निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

क्र.स	विषय	जिसके द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जायेगा	जिसके द्वारा कार्य निपटाया जायेगा	राज्य मंत्री/मंत्री जी को प्रस्तुत किया जायेगा	
1	2	3	4	राज्य मंत्री जी	मंत्री जी
				5	6
1	विभागों के नियन्त्रणाधीन रापत्रित अधिकारियों से संबंधित स्थापन मामले।				
	(क) पदों का सृजन	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां
	(ख) प्रारम्भिक नियुक्तियाँ	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां
	(ग) अस्थायी पदों और नियुक्तियों का विस्तार	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां
	(घ) पदोन्नतियाँ	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां
	(च) त्यागपत्र	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां विभागाध्यक्ष के मामले में	हां विभागाध्यक्ष के मामले में
	(छ) स्थानान्तरण	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	-	हां
	(ज) अधिवर्षिता प्राप्त व्यक्तियों का पुनः नियोजन	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां
	(झ) अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्चतर नियतन की मंजूरी	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां
	(ञ) स्थायीकरण	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	-	-
	1 विभागाध्यक्षों के नीचे	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां, यदि इन्कार कर दिया गया हो,	हां, यदि इन्कार कर दिया गया हो,
	2 विभागाध्यक्ष	यु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां

	(ट) वरिष्ठता का नियतन	गु.अ./स.शा.स. /उ. स./सं.शा. स.	शा.स./प्र.शा.स. /अ.मु.स.	हां	हां
2	विभाग के नियंत्रणाधीन अराजपत्रित कर्मचारियों से संबंधित स्थापन मामले				
	(क) पदों का सृजन	गु.अ./सहायक शासन सचिव	उप सचिव/ संयुक्त शासन सचिव	हां	हां
	(ख) प्रारम्भिक नियुक्ति	गु.अ./सहायक शासन सचिव	उप सचिव/ संयुक्त शासन सचिव	—	—
	(ग) अस्थायी पदों और नियुक्तियों का विस्तार	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	विलोपित	—	—
	(घ) पदोन्नति	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	हां	हां
	(च) त्यागपत्र	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	—	—
	(छ) स्थानान्तरण	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	—	हां
	(ज) अधिवर्षिता प्राप्त व्यक्तियों का पुनः नियोजन	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	—	हां
	(झ) अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्चतर नियतन की मंजूरी	गु.अ./सहायक शासन सचिव	उप सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	—	—
	(ण) स्थायीकरण	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	उप सचिव/ संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	—	—
	(ट) वरिष्ठता का नियतन	गु.अ./सहायक शासन सचिव	उप सचिव/ संयुक्त शासन सचिव	—	हां
3	अनुशासनिक मामले				
	(क) विभागाध्यक्षों के आदेशों के विरुद्ध अपीलें या पुनर्विलोकन	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	हां	हां
	(ख) राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच के लिये आदेश	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	—	हां
	(ग) राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन और अनुशासनिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए	गु.अ./सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./	—	हां

	नियुक्ति विभाग को निर्देश		अ.मु.स.		
	(घ) अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित मामले।	गु.अ./सहायक शासन सचिव/उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव./प्र.शा.स./अ.मु.स.	—	हां
4.	राजस्थान से बाहर यात्रा के लिए मंजूरी				
	(क) विभागाध्यक्ष	गु.अ./सहायक शासन सचिव/उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव./शा.सचिव./प्र.शा.स./अ.मु.स.	—	हां
	(ख) राजपत्रित अधिकारी	गु.अ./सहायक शासन सचिव/उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव./शा.सचिव./प्र.शा.स./अ.मु.स.	—	हां
	(ग) अराजपत्रित स्टाफ	गु.अ./सहायक शासन सचिव/उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव./शा.सचिव./प्र.शा.स./अ.मु.स.	—	हां
5.	भारत/विदेश में उच्चतर अध्ययन और प्रशिक्षण, अनुसंधान इत्यादि का संचालन				
	(क) राजपत्रित अधिकारी	गु.अ./सहायक शासन सचिव/उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव./शा.सचिव./प्र.शा.स./अ.मु.स.	—	हां
	(ख) अराजपत्रित स्टाफ	गु.अ./सहायक शासन सचिव	उप सचिव/संयुक्त शासन सचिव	—	हां
6.	विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति				
	(क) राजपत्रित	गु.अ./सहायक शासन सचिव/उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव./शा.सचिव./प्र.शा.स./अ.मु.स.	—	हां
	(ख) अराजपत्रित	गु.अ./सहायक शासन सचिव/उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव./शा.सचिव./प्र.शा.स./अ.मु.स.	—	हां
7	विधियों और कानूनी नियमों तथा विनिमय बनाना उनका परीक्षण तथा संशोधन	गु.अ./व.वि.अ./स.शा.स./उ.स.	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	हां	हां
8	विधिक उपबन्धों का निर्वचन	गु.अ./व.वि.अ./स.शा.स./उ.स.	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	हां	हां
9	सेवा की सामान्य शर्तें और सेवा नियमों के संशोधन	गु.अ./स.शा.स./उ.स.	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	हां	हां
10	जनता की शिकायतें (क) लोकायुक्त 1 राज्य सेवायें 2 अन्य सेवायें (ख) जन अभियोग निराकरण (ग) जांच आयोग (घ) अन्य	गु.अ./स.शा.स./उप सचिव गु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	—	हां — — —
11	धारा 80 सी.पी.सी के अधीन नोटिस	गु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	—	—
12	सरकारी केसों में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति	गु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	—	—

13	राज्यपाल को प्रस्तुत कानूनी अर्जियां	स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	-
14	मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कानूनी अर्जियां	स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	-
15	समस्त विभागीय योजनाएं				
	(अ) क्रियान्वयन/संचालन/दिशा-निर्देशन (प्रबन्धन/पर्यवेक्षण/अनुरक्षण/कार्य-व्यवस्थाओं/प्रचार-प्रसार/सहायता अनुदान) का अनुमोदन	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	हां
16	धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, निर्माण एवं विकास कार्य - राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी - राजकीय आत्म निर्भर श्रेणी - सुपुर्दगी श्रेणी (दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं एवं जन-सुविधार्थ विकास कार्य)	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	हां
17	सम्मेलन:- (क) राज्य स्तरीय सम्मेलन (ख) सरकार की ओर से सम्मेलन/बैठक में भाग लेने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों का नाम निर्देशन	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स. सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	- -	हां हां
18	रा.सेवा नियम के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	हां	हां
19	एक ही शीर्ष में एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में पुनर्विनियोग	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	-
20	मन्दिरों के सुपुर्दगी से संबंधित मामले सहित नामांतरण	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	हां
21	नियमों और सरकारी आदेशों के अनुसार निराश्रित और अशक्त व्यक्तियों को रखरखाव भत्तों की मंजूरी और नवीनीकरण	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	-
22	अन्य मामले और नीति संबंधी मामले	यु.अ./क.वि.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	हां	हां
23	संपरीक्षा और निरीक्षण टिप्पणी	यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	-	-
24	नाथद्वारा और सावलिया जी मन्दिर से संबंधित मामले (क) बोर्ड गठन एवं वेतन भत्तों के मामले (ख) अन्य मामले	यु.अ./क.वि.अ./स.शा.स./उप सचिव यु.अ./स.शा.स./उप सचिव	सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स. सं.शा.स./शा.स./प्र.शा.स./अति.मु.स.	हां -	हां -

25	राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के उपबन्धों का क्रियान्वयन	यु.अ./क.वि.अ. /स.शा.स./ उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	हां	हां
26	आत्म निर्भर मन्दिरों और धार्मिक संस्थानों के संबंध में बजट स्वीकृतियां (क) रुपये 25 लाख तक (ख) रुपये 25 लाख से अधिक	यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स. सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	— —	हां हां
27	सरकार के स्थाई आदेशों के अनुसरण में सम्पत्ति का निस्तारण (क) 10 लाख रु तक की मूल्य वाली सरकारी सम्पत्ति (ख) 10 लाख रु से अधिक मूल्य वाली सरकारी सम्पत्ति	यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स. सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	हां हां	हां हां
28	सम्पदाओं को किराये, लीज पर देने बाबत (क) रु. 5000 प्र.मा. तक की बोली वाली किराये वाली संपदा (ख) रु. 5000 प्र.मा.से अधिक की बोली वाली संपदा (ग) उप किरायेदारी के मामले (घ) किराया नीति संबंधी अन्य बिन्दु	यु.अ./क.वि.अ. /स.शा.स./ उप सचिव यु.अ./क.वि.अ. /स.शा.स./उ. स. यु.अ./क.वि.अ. /स.शा.स./ उप सचिव यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स. सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स. सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स. सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	— — — —	— हां हां हां
29	नामान्तरण की स्वीकृति (क) वारिसान के मामलात (ख) साझेदारान आदि के मामलात (ग) उप किरायेदारी के मामलात	यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स. सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स. सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	— — —	— — —
30	संसदीय मामलात	यु.अ./क.वि.अ. /स.शा.स./ उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	हां	हां

31	मन्दिरों को भोगराग वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में	यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	-	-
32	मन्दिरों और धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता	यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव	सं.शा.स./शा.स. /प्र.शा.स./अति. मु.स.	-	हां
33	कार्यग्रहण काल में वृद्धि के लिए मंजूरी				
	(क) राजपत्रित अधिकारी	यु.अ./स.शा.स. / उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	-	हां
	(ख) अराजपत्रित स्टाफ	ग्रुप अधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप सचिव	संयुक्त शासन सचिव/शा.सचिव. /प्र.शा.स./अ.मु. स.	-	-

नोट:-

- 1 ऐसे महत्वपूर्ण मामले जिनका निस्तारण अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, देवस्थान विभाग द्वारा किया जाना हो एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, देवस्थान मुख्यालय से बाहर हो तो आप संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सहायक शासन सचिव उन महत्वपूर्ण मामलों का निस्तारण कर सकेंगे किन्तु ऐसे मामले पुष्टि हेतु अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, देवस्थान विभाग किसी भी मामले की पत्रावली, जिसका निस्तारण करने का अधिकार संयुक्त शासन सचिव/ उप शासन सचिव सहायक शासन सचिव को हो, मंगवाकर अपने स्तर पर उसका अन्तिम रूप से निस्तारण कर सकेंगे और अपने अधिकार की पत्रावली संयुक्त शासन सचिव/ शासन उप सचिव को परीक्षणार्थ भेज सकेंगे।

(विश्वेन्द्र सिंह)
मंत्री, देवस्थान

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, सचिवालय।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय देवस्थान मंत्री, राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री देवस्थान, राजस्थान।
6. आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर।
7. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर (प्रथम)/जयपुर (द्वितीय)/उदयपुर/
ऋषभदेव/अजमेर/कोटा/जोधपुर/बीकानेर/भरतपुर/वृन्दावन।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सांवलिया जी मन्दिर मण्डल, मण्डफिया जिला चित्तौड़गढ़।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाथद्वारा मन्दिर मण्डल नाथद्वारा, जिला राजसमन्द।
10. समस्त प्रकरण लिपिक/ रक्षित पत्रावली।

3
(आज्ञांक गुप्ता)
शासन सचिव